जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

दिनांक : 27.05.2020

क्रमांक : एफ/प्रशा/स्था/2020/ 2747

// कार्यालयीन आदेश //

विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/अधिकारी/अधीक्षकों को सूचित किया जाता हैं कि, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 488/सा.प्र.वि./कोविड/2020 भोपाल दिनांक 20.05.2020 एवं गृह विभाग के पत्र क्रमांक 164/2020/सी–2 दिनांक 18.05.2020 के द्वारा राज्य स्तरीय कार्यालयों में चरणवद्ध रूप से कार्यालयीन कार्य प्रांरम्भ करने के संबंध में जारी निम्न दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जीवाजी विश्वविद्यालय के समस्त कार्यालयीन कार्य प्रारम्भ किये जावेगें।

1. कोरोना महामारी एवं भीषण गर्मी को देखते हुऐ कार्यालय का समय अन्य आदेश तक सुबह 10:00 से 1 बजे तक किया जाता है।
2. समस्त विभागों में अधिकारियों की उपस्थिति शत् प्रतिशत होगी।
3. कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी इसका निर्धारण संबंधीत विभागीय अधिकारी द्वारा रोटेशन के अनुसार किया जावेगा तथा शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी दूरभाष पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगें।
4. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक कार्यालय को नियमित रूप से सेनेटाईज किया जावें।
5. प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी/शिक्षको को अपने–अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
6. कार्यालय मे आने वाले समस्त अधिकारियो/शिक्षको/कर्मचारियों से आपेक्षित है कि वे कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेसिंग के संबंध में निर्धारित मापदंडो का कढाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
7. विश्वविद्यालय कार्यालयों में छात्र/छात्राओं एवं आम व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। समय–समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों का पालन किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/अधिकारी/कर्मचारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. समस्त विभाग जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
3. जनसंपर्क अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
4. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. संबंधित पत्रावली हेतु।

उप–कुलसचिव(प्रशा0)

Scanned with CamScanner